

मूलसूत्रों में साधु जीवन के मूलमूल सिद्धियों का विवेचन प्राप्त जाता है। मूलसूत्र - चार हैं -

- ① उत्तराध्यायन सूत्र → यह एक धार्मिक काव्य ग्रंथ है। भगवान महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल में निर्वाण से पूर्व जो उपदेश दिये थे, उन्हीं का इस ग्रंथ में किया गया है। उत्तराध्यायन शब्द के अर्थ पर विचार करने के लिये इस शब्द की भूतपत्ति को समझ लेना आवश्यक है। यह शब्द उत्तर अध्यायन इन दो शब्दों के भोग से बना है। उत्तर शब्द के दो अर्थ हैं - प्रधान और पर्यायादायी। प्रथम अर्थ के अनुसार धर्म सम्बन्धी एक से ^{एक} बढ़कर अध्यायन जिसमें दो वचन ग्रंथ उत्तराध्यायन कहलायेगा। द्वितीय अर्थ के अनुसार पर्याय पढ़ा जाने वाला ग्रंथ उत्तराध्यायन कहलायेगा। इस ग्रंथ में 36 अध्यायन हैं। सूत्रों के वर्गीकरण के अनुसार ही विषयों का निरूपण किया गया है जिसमें 22 परीषद (ब्रह्मचर्य, समिति, कर्मबन्ध, तपश्चर्या, शस्त्रदर्शन, मोक्षमार्ग, समाधि, स्वध्याय आदि सैद्धान्तिक विषयों का सूत्ररूप में विवेचन किया गया है) नीति के निरूपण में वित्त, पवित्रता, भ्रम की अहिंसात्मक आरुप्रा, कर्तव्य का स्वधर्मान्तरण का समावेश किया गया है। कपिलमुनि, नेमि, हरिकेशी, मृगाश्रुत, रघुनेमि एवं केशी गौतम के आरुप्रात बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
- ② आवश्यय (आवश्यक) - नित्य कर्म के अन्तर्गत सामाजिक, अनुविशतिस्त, वन्दना, प्रतिष्ठा, काप्रोत्सर्ग और प्रत्यारुप्रात ये छः क्रियाएँ बतलायी गयी हैं। इस सूत्र में इन्हीं छह नित्यकर्मों का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक कर्म के लिए उक्त छह क्रियाएँ आवश्यक हैं। इसी कारण इसका नाम आवश्यय है। इस पर निष्कर्ष और भाष्य नामक टीकाएँ भी हैं।
- ③ दशवैशालिय → (दशवैशालिक) काल को छोड़ विचाल अर्थात् सन्ध्या समय में इनका अध्यायन किया जाता है। इसलिए यह ग्रंथ दशवैशालिक कहलाता है। इसके रचयिता शक्यंभव हैं। इस ग्रंथ में दस अध्यायन हैं। इन सभी अध्यायनों का विषय मुनि का आचार है। इन पद्यबद्ध रचना में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार भी आये हैं। उत्तराध्यायन के समान यह भी भ्रमण काव्य है। इसके प्रथम अध्यायन में साधु के लिए आवश्यक सधु करी सोजन-वृत्ति का विवेचन किया गया है। यहाँ दुसपुष्य और सधुकर उपमान हैं और पद्याहुत आधार और

श्रमण उपमेय है। इसमें श्रमण को आमरी वृत्ति द्वारा आजीविता प्राप्त या संकेत किया गया है। इस ग्रंथ का विषय मानुस्मृत निम्न लिखी है—
 इसमें श्रमण के लिए अहिंसा-संपन्न-तप-रूप-कर्म का विश्लेषण किया गया है। स्व-परिश्रम की सीमाओं का विवेचन किया गया है। विनय का विस्तार पूर्वक विवेचन है।

④ पिंडरिज्जुति (पिण्डनिपुक्ति) - पिण्ड अर्थात् मुनि के ग्रहण करने योग्य आधार। इसमें मुनि के ग्रहण करने योग्य आधार का विवेचन किया गया है। इसमें 67 आवाह हैं और 8 अधिकार हैं। इसमें बताया गया है कि खाद्यों के निमित्त अथवा उद्देश्य से तैयार किया गया, खरीद कर अथवा उधार लाया हुआ, किसी वस्तु को ध्याया दिया गया एवं उपर चढ़कर आया हुआ भोजन निषिद्ध कहा गया है। निपुक्ति आगमों की सबसे प्राचीन टीकाओं का नाम है। और श्लोक कर्ता भद्रबाहु माने जाते हैं। अस्तुतः पिण्डनिपुक्ति पर्यायतः वशवै कालिदा के अन्वर्तित पिण्ड-संज्ञा नामक पांचवें अध्याय की प्राचीन टीका है।